



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.पी.-अ.-23072026-274707
CG-MP-E-23072026-274707

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3745]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15, 2026/आषाढ 24, 1948

No. 3745]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 2026/ASHADHA 24, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम मध्य रेल्वे (निर्माण—प्रथम भोपाल)]

अधिसूचना

भोपाल, 11 जून, 2026

का.आ. 3908(अ).—केंद्रीय सरकार रेल अधिनियम, 1989 (रेल संशोधित अधिनियम 2008) की धारा 20 (क) की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में विशेष रेल परियोजना इटारसी—भोपाल—बीना खण्ड (236.97 कि.मी.) नई चौथी रेल लाईन के निर्माण हेतु निष्पादन, अनुरक्षण प्रबंधन एवं संचालन के लिए आपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 (घ) की उप धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम अधिकारी अर्थात् सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभाग— कोलार, जिला भोपाल म.प्र. को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम अधिकारी अपेक्षाकर्ता को व्यक्तिगत से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आपेक्षों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच यदि कोई हो, जिसे सक्षम अधिकारी आवश्यक समझ करने के पश्चात आदेश द्वारा या तो अपेक्षों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 (घ) की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखाकन और भूमि के अन्य ब्योरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम अधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुविभाग कोलार व उप मुख्य अभियंता, निर्माण-प्रथम पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल के कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकेगा।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य में भोपाल जिले के कोलार तहसील के अंतर्गत मिसरोद ग्राम में, इटारसी-भोपाल-बीना खण्ड (236.97 कि.मी.) नई चौथी रेल लाईन के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की जाने वाली सरचना सहित एवं सरचना रहित भूमि का संक्षेप विवरण:

क्र. सं.	अर्जनाधीन खसरा नम्बर	रेलवे द्वारा भूमि का कुल रकवा (हैक्टेयर में)	राजस्व रिकार्ड अनुसार कुल रकवा (हैक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हैक्टेयर में)	भूमि का प्रकार (निजी/शासकीय)	भूमि की प्रकृति (कृष/बंजर)	भूमि (सिंचित/असिंचित)
1	345	0.939	0.9390	0.939	निजी	कृषि	सिंचित
2	346,349	6.042	7.0860	0.040	निजी	कृषि	सिंचित
2.1	346/1/4/1/349		0.3280		निजी	कृषि	सिंचित
2.2	346/1/4/2/349		0.9590		निजी	कृषि	सिंचित
2.3	346/349/1/1		1.2790		निजी	कृषि	सिंचित
2.4	346/349/1/2/1		2.690		निजी	कृषि	सिंचित
2.5	346/349/1/2/2		1.4250		निजी	कृषि	सिंचित
2.6	346/349/1/3		0.4050		निजी	कृषि	सिंचित
3	334,336	1.769	1.8410	0.397	निजी	कृषि	सिंचित
3.1	334/336/1		1.250		निजी	कृषि	सिंचित
4	336	0.055	0.055	0.044	निजी	कृषि	सिंचित
5	335	2.286	2.3836	0.257	निजी	कृषि	सिंचित
5.1	335/1		1.8710		निजी	कृषि	सिंचित
6	329	3.415	2.7800	0.313	निजी	कृषि	सिंचित
6.1	329/1/1/1		0.8660		निजी	कृषि	सिंचित
6.2	329/1/1/2		0.8660		निजी	कृषि	सिंचित
6.3	329/2		1.0480		निजी	कृषि	सिंचित
7	169	0.770	0.7650	0.014	निजी	कृषि	सिंचित
7.1	169/1		0.5260		निजी	कृषि	सिंचित
8	96	0.689	0.7360	0.023	निजी	कृषि	सिंचित
8.1	96/1		0.5340		निजी	कृषि	सिंचित
9	99/2	0.085	0.1010	0.007	निजी	कृषि	सिंचित
9.1	99/2/1		0.0690		निजी	कृषि	सिंचित
10	29	0.433	0.460	0.017	निजी	कृषि	सिंचित

11	30	0.352	0.3480	0.080	निजी	कृषि	सिंचित
11.1	30/1		0.0240		निजी	कृषि	सिंचित
12	31	0.746	0.7760	0.026	निजी	कृषि	सिंचित
12.1	31/1		0.630		निजी	कृषि	सिंचित
13	46/2	1.198	2.0230	0.522	निजी	कृषि	सिंचित
13.1	46/2/1,55,57,58/ 1/10		1.190		निजी	कृषि	सिंचित
14	58,55	4.574	6.0750	0.286	निजी	निजी	कृषि
14.1	55/1/1		1.6750		निजी	निजी	कृषि
14.2	55/1/2		0.2020		निजी	निजी	कृषि
14.3	55/1/3		0.2020		निजी	निजी	कृषि
14.4	55/1/4		0.4050		निजी	निजी	कृषि
14.5	55/1/6		1.1740		निजी	निजी	कृषि
14.6	55/1/7		1.6070		निजी	निजी	कृषि
14.7	55/1/8		0.4050		निजी	निजी	कृषि
14.8	55/1/9		0.4050		निजी	निजी	कृषि
15	56	0.340	0.3271	0.009	निजी	निजी	कृषि
15.1	56/1		0.2670		निजी	निजी	कृषि
15.2	56/2		0.0601		निजी	निजी	कृषि
कुल रकवा हैक्टेयर में		23.693	49.0578	2.974			

[कंप्यूटर न.330954 फा. सं. पमरे- बीपीएल सीओ इंजि (एमआईएससी)/82/2025-ओ/ओ डीवायसीड/सी-1/ बीपीएल]

अनिरुद्ध मोहन कौशल, मुख्य अभियंता निर्माण – III

MINISTRY OF RAILWAYS

[West Central Railway (con-I Bhopal)]

NOTIFICATION

Bhopal, the 11th June, 2026

S.O. 3908(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (as Amendment Act 2008, the Central Government, After being satisfied that the land, brief description of which is given in the Schedule below, is required for public purpose for execution, maintenance, management and operation of special Railway project construction of Etarsi-Bhopal-Bina Section (236.97 Km) 4th New Line in Bhopal District of the State of Madhya Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 20(d) of the said Act.

Every such objection shall be made in writing to the Competent Officer and Competent Authority and Sub-Divisional Officer(Revenue), Sub-Division-Kolar, District Bhopal, M.P. and shall set out there in the grounds there of and the Competent Officer shall afford the applicant an opportunity of being heard either in person or through a legal practitioner and after hearing all such objection and making such further inquiry, if any, as the Competent Officer may deem necessary, may by order either allow or disallow the objection.

The order made by the competent authority under sub-section(2) of section 20(d) of the said Act shall be final.

The plan and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the above mentioned office of the competent authority and the office of Sub-Divisional Officer (Revenue) Sub-Division Kolar and Deputy Chief Engineer, (Con-1) west central railway, Bhopal

SCHEDULE

Brief details of land with or without structure to be acquired for the construction project of Etarsi-Bhopal-Bina Section (236.97 Km) 4th New Line in the state of Madhya Pradesh.

Village - Misrod

Tehsil – Kolar

District - Bhopal

Sl. No.	Survey No.	Total area of Land	Total area of Revenue	Area of acquired Land	Type of Land private /Govt.	Nature of Land agricultural/ fallow	Irrigated/Non-irrigated land
1	345	0.939	0.9390	0.939	Private	Agriculture	Irrigated
2	346,349	6.042	7.0860	0.040	Private	Agriculture	Irrigated
2.1	346/1/4/1/349		0.3280		Private	Agriculture	Irrigated
2.2	346/1/4/2/349		0.9590		Private	Agriculture	Irrigated
2.3	346/349/1/1		1.2790		Private	Agriculture	Irrigated
2.4	346/349/1/2/1		2.690		Private	Agriculture	Irrigated
2.5	346/349/1/2/2		1.4250		Private	Agriculture	Irrigated
2.6	346/349/1/3		0.4050		Private	Agriculture	Irrigated
3	334,336	1.769	1.8410	0.397	Private	Agriculture	Irrigated
3.1	334/336/1		1.250		Private	Agriculture	Irrigated
4	336	0.055	0.055	0.044	Private	Agriculture	Irrigated
5	335	2.286		2.3836	Private	Agriculture	Irrigated
5.1	335/1		1.8710		Private	Agriculture	Irrigated
6	329	3.415	2.7800	0.313	Private	Agriculture	Irrigated
6.1	329/1/1/1		0.8660		Private	Agriculture	Irrigated
6.2	329/1/1/2		0.8660		Private	Agriculture	Irrigated
6.3	329/2		1.0480		Private	Agriculture	Irrigated
7	169	0.770	0.7650	0.014	Private	Agriculture	Irrigated
7.1	169/1		0.5260		Private	Agriculture	Irrigated
8	96	0.689	0.7360	0.023	Private	Agriculture	Irrigated
8.1	96/1		0.5340		Private	Agriculture	Irrigated
9	99/2	0.085	0.1010	0.007	Private	Agriculture	Irrigated
9.1	99/2/1		0.0690		Private	Agriculture	Irrigated
10	29	0.433	0.460	0.017	Private	Agriculture	Irrigated
11	30	0.352	0.3480	0.080	Private	Agriculture	Irrigated

11.1	30/1		0.0240		Private	Agriculture	Irrigated
12	31	0.746	0.7760	0.026	Private	Agriculture	Irrigated
12.1	31/1		0.630		Private	Agriculture	Irrigated
13	46/2	1.198	2.0230	0.522	Private	Agriculture	Irrigated
13.1	46/2/1,55,57,58/1/10		1.190		Private	Agriculture	Irrigated
14	58,55	4.574	6.0750	0.286	Private	Agriculture	Irrigated
14.1	55/1/1		1.6750		Private	Agriculture	Irrigated
14.2	55/1/2		0.2020		Private	Agriculture	Irrigated
14.3	55/1/3		0.2020		Private	Agriculture	Irrigated
14.4	55/1/4		0.4050		Private	Agriculture	Irrigated
14.5	55/1/6		1.1740		Private	Agriculture	Irrigated
14.6	55/1/7		1.6070		Private	Agriculture	Irrigated
14.7	55/1/8		0.4050		Private	Agriculture	Irrigated
14.8	55/1/9		0.4050		Private	Agriculture	Irrigated
15	56	0.340	0.3271	0.009	Private	Agriculture	Irrigated
15.1	56/1		0.2670		Private	Agriculture	Irrigated
15.2	56/2		0.0601		Private	Agriculture	Irrigated
Total Area in hec.		23.693	49.0578	2.974			

[Computer No.330954 F. No. WCR-BPLCOENGG (Misc.)/82/2025-O/o Dy.CE/C-I/BPL]

ANIRUDH MOHAN KAUSHAL, Chief Engineer, Construction-III